रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2479] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939
No. 2479] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का.आ. 2827(अ).—बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1022 (अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 3 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में, कोष्ठकों, अंकों और शब्दों—

'(1) खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक।

(3) परिसंकटमय प्रक्रियां।

स्पष्टीकरण.—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "परिसंकटमय प्रक्रियां" का वही अर्थ होगा जो उसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 43) के खंड (गख) में दिया गया है।',

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"खण्ड क

परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें कुमारों का काम करना तथा बालकों का मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्ठियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या माइका अथवा भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना, एकत्रण तथा मरम्मत करना शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे—

(i) पटाखों का उत्पादन, संग्रहण अथवा बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना;

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।

(v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबंध उत्पाद।

परिसंकटमय प्रक्रियाएं (कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नीचे उल्लिखित क्रम संख्या (3) से (31) तक):—

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

(i) समकलित लोहा और इस्पात;

(ii) लौह-मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम ।

(5) ढलाईसाल (लौह और अलौह): कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग:

(i) कोयला, लिग्नाइट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित);

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग;

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(9) उर्वरक उद्योग:

(i) नाइट्रोजनयुक्त

(ii) फॉस्फेटिक

(iii) मिश्रित

(10) सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित);

(11) पैट्रोलियम उद्योग;

(i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण;

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस;

(12) पेट्रो-रसायन उद्योग;

(13) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स;

(14) किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला);

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग);

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग;

(17) चमड़ा उद्योग;

(18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग;

(19) रसायनिक उद्योग;

(i) कोक ओवन गौड उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

(ii) उद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन; डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)

(iii) औद्योगिक कार्बन;

(iv) क्षार और अम्ल;

(v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रोथरर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कारबाइड);

(ix) नाइट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ);

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित);

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग;

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक;

(22) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक) उद्योग;

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत;

(24) शीशा ओर सिरेमिक;

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना;

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण;

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी;

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग;

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन;

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम;

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें;

(32) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची –I के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया;

(33) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य जिसके अन्तर्गत गिलोटिन का कार्य भी है;

(34) रेडियोधर्मी पदार्थ जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक कचरा भी है के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं;

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं

(38) बीडी बनाने का कार्य या तंबाकू जिसके अन्तर्गत तंबाकू का विनिर्माण, पेस्टिंग और हथालन भी है का प्रसंस्करण या मन:प्रभावी पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण में किसी रूप में एल्कोहल और मदिरा उद्योग और बार, पब, पार्टियों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर जहां एल्कोहलिक पदार्थ परोसे जाते है।

भाग –ख

व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय—

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(7) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

(8) प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(9) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(10) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;

(11) गोताखोरी;

(12) सर्कस;

(13) हाथियों की देखभाल;

(14) विद्युतचालित बेकरी मशीन;

(15) जूता निर्माण।

प्रक्रियाएं

(1) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;

(2) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;

(3) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;

(4) लाख/शीलैक विनिर्माण;

(5) साबुन बनाना;

(6) ऊन की सफाई;

(7) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;

(8) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);

(9) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;

(10) काजू और काजू के छिलके उतारने और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

(11) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्डिंग) की प्रक्रिया

(12) 'अगरबत्ती' का निर्माण;

(13) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;

(14) ईंटों या खपरैलों का निर्माण;

(15) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;

(16) डिटरजेंट का निर्माण;

(17) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);

(18) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;

(19) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों का रख-रखाव;

(20) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;

(21) चूना भट्टा और चूना निर्माण;

(22) ताला बनाना;

(23) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों मे सीसे का दाहन, खान

सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

(24) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

(25) काँच, कॉच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियाँ, टयूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

(26) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;

(27) संक्षारीय एव विषैले पदार्थो का निर्माण, प्रक्रिया एव प्रहस्तन;

(28) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

(29) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

(30) तेल की पिराई और परिष्करण;

(31) कागज बनाना;

(32) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

(33) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

(34) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

(35) आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं;

(36) रेशम प्रसंस्करण;

(37) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

(38) टायर निर्माण, मरम्मत,री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

(39) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

(40) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);

(41) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

(42) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

(43) हीरों की कटाई और पालिश;

(44) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

(45) मशीनीकृत मछली पालन;

(46) खाद्य प्रसंस्करण;

(47) पेय पदार्थ उद्योग;

(48) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

(49) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

(50) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

(51) भंडारागार कार्यकलाप;

(52) मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

(53) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में –

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत प्रक्रिया

(ड) मेटल ट्रेड से ज़डे मशीने टूल्स

(54) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के धारा 2 के खंड (ट) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

II. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

[फा. सं. ए-42011/2/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : इस अनुसूची को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35) जो 1 सितंबर, 2016 को प्रवृतन में आया, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और प्रतिस्थापन से पूर्व अनुसूची में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था –

- का.आ. 404(अ), तारीख 5 जून,1989;
- का.आ. 263(अ), तारीख 29 मार्च, 1994;
- का.आ. 36(अ), तारीख 27 जनवरी, 1999;
- का.आ. 397(अ), तारीख 10 मई, 2001;
- का.आ. 1742(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2006;
- का.आ. 2280(अ), तारीख 25 सितंबर, 2008; और
- का.आ. 2469(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010।